

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 402] No. 402] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ज्ये<sup>®</sup>B 2, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

# वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 मई. 2017

सा.का.नि. 501(अ).—यह अधिसूचना भारत सरकार की दिनांक 17 फरवरी, 2016 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 180(ई) के अधिक्रमण में जारी की जा रही है।

## परिभाषा

किसी संस्था(एन्टिटि) को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जाएगाः

- (क) यदि यह एक निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित) के रूप में निगमित हो या एक भागीदारी फर्म (भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन पंजीकृत) के रूप में अथवा भारत में सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन) के रूप में पंजीकृत हो; और
- (ख) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक; तथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्टअप के मामले में, यह अवधि उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी: और
- (ग) निगमीकरण/पंजीकरण के बाद से यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हुआ हो; और
- (घ) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रहा है अथवा यह रोजगार सुजन या धन सुजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी संस्था(एन्टिटि) को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

3324 GI/2017 (1)

# स्पष्टीकरण

- (i) किसी संस्था(एन्टिटि) को उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक होने पर स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्टअप के मामले में, किसी संस्था(एन्टिटि) को उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष पूरा होने या किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक होने पर स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।
- (ii) कारोबार, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा परिभाषित है।

## मान्यता की प्रक्रिया

स्टार्टअप के रूप में मान्यता की प्रक्रिया, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित मोबाइल ऐप/पोर्टल पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से होगी। संस्था(एन्टिटि) द्वारा निगमीकरण/पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं यथा वांछित अन्य संबद्ध विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। स्टार्टअप को व्यवसाय के स्वरुप का ब्यौरा देना होगा जिसमें यह प्रमुखता से दर्शाना होगा कि वह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार या रोजगार सृजन या धन सृजन के सन्दर्भ में अपनी स्केलेबिलिटी की दिशा में किस प्रकार कार्य कर रहा है।

#### कर लाभ

कर संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए एक स्टार्टअप

- (i) को निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 में यथापरिभाषित) या सीमित देयता साझेदारी (सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के तहत यथा परिभाषित) होना चाहिए,जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद, लेकिन 1 अप्रैल, 2019 से पहले, निगमित हुआ हो; तथा
- (ii) उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रहा हो, अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल हो; तथा
- (iii) को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा समय-समय पर यथागठित अन्तर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड से पात्र कारोबार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

भारत में अभिनवीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के मद्देनजर, अभिनवीकरणीयता पर घरेलू दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा।

मात्र निम्नलिखित के विकास संबंधी कार्यकलाप से कोई स्टार्टअप कर संबंधी लाभ का पात्र नहीं होगा:-

- उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं, जिनमें वाणिज्यीकरण की संभावना नहीं है, अथवा
- II. एकसमान उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं, अथवा
- III. ग्राहकों या कार्य-प्रवाह के लिए शुन्य या सीमित मुल्यवृद्धि वाले उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं

### <u>निरसन</u>

बाद में, अगर कोई उपरोक्त मान्यता ऐसी पायी जाती है जिसे सम्बद्ध दस्तावेज अपलोड किये बिना या झूठी सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया हो, तो डीआईपीपी को मान्यता प्रमाण-पत्र और कर लाभ के लिए पात्र व्यवसाय का प्रमाणपत्र, किसी पूर्व सूचना या कारण बताए बिना निरस्त करने का अधिकार होगा।

## <u>प्रभाव</u>

यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 5(91)2015-बीई-I]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

# (Department of Industrial Policy and Promotion)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 2017

**G.S.R. 501** (E).—This notification is being issued in supersession of Gazette Notification No G.S.R. 180 (E) of Government of India dated 17<sup>th</sup> February, 2016.

### **Definition**

An entity shall be considered as a Startup:

- a) if it is incorporated as a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013) or registered as a partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008) in India; and
- b) up to seven years from the date of its incorporation/ registration; however, in the case of Startups in the biotechnology sector, the period shall be up to ten years from the date of its incorporation/ registration; and
- c) if its turnover for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded Rupees 25 crores; and
- d) if it is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

Provided that any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered a 'Startup'.

### **Explanation**

- i. An entity shall cease to be a Startup on completion of seven years from the date of its incorporation/ registration or if its turnover for any previous year exceeds Rupees 25 crores. However, in respect of Startups in the biotechnology sector, an entity shall cease to be a Startup on completion of ten years from the date of its incorporation/ registration or if its turnover for any previous year exceeds Rupees 25 crores.
- ii. Turnover is as defined under the Companies Act, 2013.

# **Process of recognition**

The process of recognition as a 'Startup' shall be through an online application made over the mobile app/portal set up by the Department of Industrial Policy and Promotion. Entities will be required to submit the online application along with the Certificate of Incorporation/ Registration and other relevant details as may be sought. Startups also have to submit a write-up about the nature of business highlighting how is it working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or its scalability in terms of employment generation or wealth creation.

## **Tax Benefits**

In order to obtain tax benefits, a Startup should –

- i. be a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013) or a limited liability partnership (as defined under the Limited Liability Partnership Act, 2008) which is incorporated on or after the 1st day of April, 2016 but before the 1st day of April, 2019, and
- ii. be working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or should be a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation, and
- iii. obtain a certificate of an eligible business from the Inter-Ministerial Board of Certification as constituted by Department of Industrial Policy and Promotion from time to time.

Recognising the need to encourage innovation in India, innovativeness shall be considered from a domestic standpoint.

Provided that the mere act of developing:

- I. products or services or processes which do not have potential for commercialization, or
- II. undifferentiated products or services or processes, or
- III. products or services or processes with no or limited incremental value for customers or workflow would not make a Startup eligible for tax benefits.

### Revocation

Subsequently, if such recognition is found to have been obtained without uploading the relevant documents or on the basis of false information, DIPP reserves the right to revoke the recognition certificate and certificate of an eligible business for tax benefits immediately without any prior notice or reason.

## **Effect**

This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5(91)/2015-BE-I] RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.